अल्पसंख्यक कल्याण विभाग,बिहार सरकार
(हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग)

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार की राज्य अल्पसंख्यक कोचिंग योजनान्तर्गत नोडल एजेन्सी मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में हज भवन, पटना में JEE (MAINS) एवं NEET-2026 परीक्षा की निःशुल्क आवासीय कोचिंग एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम हेतु नामांकन कराने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एंव निर्देशः–

1. **आवेदकों में जो पूर्व में JEE (MAINS) एवं NEET के परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं उन्हे पूर्व के परीक्षाओं में प्रदर्शन के आधार पर ही प्रवेश दिया जा सकेगा एवं इसके लिए आवेदक को पूर्व की** JEE (MAINS) अथवा NEET-2026 **परीक्षा का अंक पत्र प्रस्तुत कराना आवश्यक होगा।**
2. **चयनित आवेदकों को दिनांक 06.10.2025 एवं 07.10.2025 को हज भवन में अपना नामांकन कराना अनिवार्य है। कोचिंग/वर्ग संचालन दिनांक 08.10.2025 से आरम्भ करने की योजना है।**
3. **आवासीय कोचिंग कार्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थी दिनांक 06.10.2025 से 07.10.2025 तक अपने नामांकन हेतु कार्यालय अवधि में हज भवन, पटना आकर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करके अपना स्थान ग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद प्रतीक्षा सूची वाले अभ्यर्थियों को चयनित अभ्यर्थियों के बदले जगह दे दी जाएगी।**
4. नामांकन हेतु आने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को सूचित किया जाता है कि वह पूरी तैयारी से नामांकन हेतु हज भवन, पटना में आऐं। नामांकन के पश्चात घर जाने की अनुमति नही होगी। नामांकन के समय प्रत्येक उम्मीदवार को **5000/- (पाँच हजार रुपये)** सुरक्षित राशि के रुप में जमा करना होगा। कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग की ओर से नामांकन के समय अभ्यर्थी को गद्दा, चादर, तकिया, पानी का बोतल, गिलास, चम्चा एंव मच्छरदानी इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। हज भवन में आवासन की अवधि में कोचिंग प्राप्त कर रहे अभ्यर्थी द्वारा हज भवन परिसर की किसी सम्पत्ति को यदि नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी भरपाई सुरक्षित जमा राशि से की जा सकेगी। कोचिंग कार्यक्रम की समाप्ति पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर सम्पूर्ण सुरक्षित जमा राशि लौटा दी जाएगी।
5. कोचिंग के इच्छुक नामांकन कराने वाले आवेदकों को आवासन, कुछ महत्वपूर्ण पाठ्य सामग्री, पुस्तकालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा जबकि हज भवन के मेस में मिनू के अनुरूप तीनों समय के भोजन एवं चाय हेतु उन्हें **4500/–(चार हजार पाँच सौ)** रूपये प्रतिमाह अग्रिम जमा करना होगा। भोजन मद में जमा की गई राशि किसी भी परिस्थिति में वापस नही की जा सकेगी।
6. नामांकन कराने वाले आवेदकों को कोई गंभीर बिमारी नहीं होनी चाहिए तथा पूर्व की बिमारी के कारण यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तो हज भवन प्रशासन पर इलाज संबंधी कोई जवाबदेही नहीं होगी। प्राथमिक उपचार सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी।
7. विषयांकित आवासीय कोचिंग सामान्यतः सात महीने का होगा एवं **JEE (MAINS) एवं NEET** परीक्षा मई 2026 तक इसका संचालन किया जाएगा। कोचिंग हेतु नामांकन कराने वाले सभी आवेदकों को हज भवन परिसर में ही अपना आवासन रखना पड़ेगा तथा बिना समन्वयक/निर्देशक की पूर्वानुमति के परिसर छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

AnyScanner

8. कोचिंग में पढ़ाने एवं मार्गदर्शन देने हेतु देश के अनुभवी शिक्षकों की सेवा ली जाएगी जो अपने अनुभवों के आधार पर मार्गदर्शन एवं पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायेंगे। आवश्यकतानुसार महत्वपूर्ण विषयों पर विषय वस्तु विशेषज्ञों एवं कोचिंग संस्थान के शिक्षकों की सेवा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोचिंग एवं मार्गदर्शन के अतिरिक्त विषयवार टेस्ट सीरीज़ का आयोजन भी कोचिंग कार्यक्रम का अंश रहेगा।

9. आवेदकों को नामांकन के समय निम्नांकित प्रमाण पत्र की **स्वअभिप्रमाणित** छाया प्रति प्रस्तुत करना **आवश्यक** है :–

(क) यदि आवेदक द्वारा पूर्व की **JEE (MAINS) एवं NEET** की परीक्षा में सम्मिलिम हुए हैं तो तत्संबंधी अंक पत्र की प्रति।

(ख) मैट्रिक / 10वीं का प्रमाण पत्र (जन्मतिथि के सत्यापन हेतु)।

(ग) 12वीं का प्रमाण पत्र।

(घ) आवेदक का फोटोयुक्त परिचय–पत्र की छाया प्रति (आधार कार्ड / वोटर आई0डी0 / पासपोर्ट इत्यादि)।

(ड) यदि आवेदक आरक्षित वर्ग से है तो पिछडा वर्ग / अत्यंत पिछडा वर्ग / आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग का क्रीमीलेयररहित / जाति प्रमाण पत्र की प्रति।

(च) दो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फोटो।

10. नामांकन के उपरान्त सभी आवेदकों को हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग द्वारा हज भवन पटना में उपलब्ध कराये गये निर्धारित हॉल में अपना आवासन रखना तथा भोजन करना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में पंजीकृत आवेदकों को हज भवन में भोजन बनाने अथवा बाहर भोजन करने की अनुमति नहीं रहेगी।

11. नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने के उपरान्त किसी भी आवेदक को कोचिंग कार्यक्रम बीच में छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा ऐसा करने पर उनकी सुरक्षित जमा राशि जब्त की जा सकेगी।

12. वर्ग संचालन प्रारम्भ होने के उपरान्त घर जाने की अनुमति नहीं होगी और किसी भी कारण से वर्ग से अनुपस्थिति को काफी गंभीरता से लिया जाएगा।

13. अत्यंत गरीब परिवार के मेधावी छात्र–छात्राओं हेतु विशेष परिस्थिति में उनके भोजन पर होने वाले मासिक व्यय की राशि आवश्यकतानुसार कम अथवा पूर्णतः माफ की जा सकेगी। इस संबंध में मुख्य कार्यापालक पदाधिकारी बिहार राज्य हज समिति सह समन्वयक का निर्णय अंतिम होगा।

14. अतिरिक्त जानकारी हेतु दूरभाष संख्या–0612–2203315 एवं वाट्सएप न० 9097171909 अथवा 8210665561 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

26/09/2025

समन्वयक
हज भवन कोचिंग एवं मार्गदर्शन कोषांग
सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार राज्य हज समिति, पटना।

SCAN AnyScanner